



क्र.	दिनांक	अवकाश दिवस	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम
21	21.10.2023	तृतीय शनिवार	श्री प्रहलाद सिंह कैमथिया, पच्चीसवे अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
22	22.10.2023	रविवार	श्री अमित रंजन समाधिया, छब्बीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
23	23.10.2023	महानवमी	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल
24	24.10.2023	दशहरा	श्री स्वयं प्रकाश दुबे, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल
25	25.10.2023	स्थानीय अवकाश	श्री अजय नील करोठिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल
26	29.10.2023	रविवार	श्री प्रदीप कुमार वरकडे, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल

**नोट :** निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नामांकित अधिकारी यदि व्यक्तिगत कारणों से ड्यूटी दिनांक में बदलाव चाहते हैं तो अपने साथी न्यायाधीश की सहमति प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत करने पर ही तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल (मध्यप्रदेश)**

## न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक— /2023

भोपाल, दिनांक—28.06.2023

### //विधि आदेश//

माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2023 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक अपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए जिला न्यायालय भोपाल के निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे:—

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023
1	श्रीमती सोनम वर्मा जे.एम.एफ.सी.	2		
2	श्रीमती अश्विनी सिंह जे.एम.एफ.सी.	9		
3	सुश्री तनुश्री शिवहरे जे.एम.एफ.सी.	15		
4	श्री राजकुमार तोरनिया जे.एम.एफ.सी.	16		
5	श्रीमती शीला मैना यादव जे.एम.एफ.सी.	23		
6	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जे.एम.एफ.सी.	29		
7	श्री विधान माहेश्वरी जे.एम.एफ.सी.	30		
8	श्रीमती मंजूषा तेकाम जे.एम.एफ.सी.		6	
9	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जे.एम.एफ.सी.		13	
10	श्री अरुण सिंह जे.एम.एफ.सी.		15	
11	श्री सुरेश बारगीया जे.एम.एफ.सी.		19	
12	श्री लोकेश तारण जे.एम.एफ.सी.		20	
13	श्रीमती चेतना दीक्षित जे.एम.एफ.सी.		27	
14	श्री संदीप कुमार नामदेव जे.एम.एफ.सी.		30	
15	श्री रजनीश ताम्रकार जे.एम.एफ.सी.			3
16	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जे.एम.एफ.सी.			7
17	श्री तथागत याग्निक जे.एम.एफ.सी.			10
18	सुश्री लघुता मरकाम जे.एम.एफ.सी.			16
19	श्री मृदुल लटोरिया जे.एम.एफ.सी.			17
20	श्री बृजेश चंसोरिया जे.एम.एफ.सी.			18
21	सुश्री एकता ठाकुर जे.एम.एफ.सी.			19

22	श्री प्रशांत मर्सकोले जे.एम.एफ.सी.		24
23	सुश्री ऋचा भट्ट जे.एम.एफ.सी.		28

### नोट:-

- यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए **मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश** का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा **प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर** जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड **कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1** के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:-
  - माह जुलाई 2023 में श्री राजकुमार तोरनिया जेएमएफसी भोपाल
  - माह अगस्त 2023 में श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी, भोपाल
  - माह सितम्बर 2023 में श्री लोकेश तारण जेएमएफसी भोपाल
- पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।
- यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

( अमर सिंह सिसोदिया )  
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक...../2023

भोपाल, दिनांक 28.06.2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल
- रीडर, सीजेएम कोर्ट, भोपाल
- कम्प्यूटर अनुभाग, भोपाल
- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

( अमर सिंह सिसोदिया )  
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
भोपाल

## न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक— /2023

भोपाल, दिनांक—28.06.2023

### //विधि आदेश//

माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2023 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक अपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए निम्नानुसार तहसील न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे:—

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023
1	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	2		
2	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.	9		
3	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी	15		
4	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी	16		
5	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	23		
6	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.	29		
7	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी	30		
8	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी		6	
9	श्री रवि नायक, जेएमएफसी		13	
10	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.		15	
11	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी		19	
12	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी		20	
13	श्री रवि नायक, जेएमएफसी		27	
14	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.		30	
15	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी			3
16	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी			7
17	श्री रवि नायक, जेएमएफसी			10
18	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.			16
19	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी			17
20	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी			18
21	श्री रवि नायक, जेएमएफसी			19

22	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.		24
23	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी		28

**नोट:-**

- यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए **मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश** का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा **प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर** जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड **कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1** के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:-
  - माह जुलाई 2023 में सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी, तह. बैरसिया भोपाल
  - माह अगस्त 2023 में श्रीमती हर्षिनी यादव, जेएमएफसी तह. बैरसिया भोपाल
  - माह सितम्बर 2023 में श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी तह. बैरसिया भोपाल
- पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।
- यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

( अमर सिंह सिसोदिया )

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक...../2023

भोपाल, दिनांक 28.06.2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैरसिया भोपाल
- रीडर, सीजेएम कोर्ट, भोपाल
- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

( अमर सिंह सिसोदिया )

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
भोपाल